

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक नं. (65)नविवि/3/16-ए

जयपुर दिनांक: 02.11.07

:: आदेश ::

विषय: निजी कृषि भूमि/निजी खातेदार/निजी विकासकर्ता/निजी निवेशकर्ता एवं टाउनशिप परियोजना पर प्रभारित मुद्रांक शुल्क के संदर्भ में।

राज्य सरकार, यह राय देने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, आदेश देती है कि निजी कृषि भूमि/निजी खातेदार/निजी विकासकर्ता/निजी निवेशकर्ता एवं टाउनशिप परियोजना द्वारा केवल कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि के नियमन प्रकरणों में भूखण्डों जिनका नियमन किया जाना है पर राज्य सरकार द्वारा प्रचलित दर से देय मुद्रांक कर उक्त पट्टे (लोजडोड) पर नियमन शुल्क, इमान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, ब्याज पेनल्टी राशि को शामिल करते हुए संदत प्रतिफल की कृता राशि पर राज्य सरकार द्वारा प्रचलित मुद्रांक शुल्क की दर से मुद्रांक कर देय होगा। निजी कृषि भूमि/निजी खातेदार/निजी विकासकर्ता/निजी निवेशकर्ता एवं टाउनशिप परियोजना परियोजना प्रकरणों में नियमन शुल्क का अर्थ उस क्षेत्र की प्रचलित नियमन राशि का 4 गुना राशि से होगा। उक्त आदेश राजस्थान की समस्त स्थानीय निकायों, समस्त नगर विकास न्यासों एवं जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल पर तत्काल प्रभावशील होगा।

यह कि उक्त प्रकार के किसी भी मामले में अदा किये जा चुके मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का रिफण्ड देय नहीं होगा। इस संदर्भ में पूर्व में जारी आदेशों के अधिकमण में यह आदेश जारी किया जा रहा है।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त जारी किया गया है।

आज्ञा से

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्थायित्व शासन विभाग।
7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. निदेशक, स्थायित्व शासन विभाग।
10. सचिव, नगर विकास न्यास,
11. रक्षित पत्रा लो।